

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 94

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	989.35	...	989.35	1224.09	1.06	1225.15	1223.96	1.05	1225.01	1224.07	1.20	1225.27
वसूलियां	-3.77	...	-3.77
प्राप्तियां
निवल	985.58	...	985.58	1224.09	1.06	1225.15	1223.96	1.05	1225.01	1224.07	1.20	1225.27
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	31.63	...	31.63	41.67	0.85	42.52	40.81	0.85	41.66	41.55	1.00	42.55
2. संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	31.63	...	31.63	41.67	1.05	42.72	40.81	1.05	41.86	41.55	1.20	42.75
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम												
3. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	242.29	...	242.29	245.00	...	245.00	305.00	...	305.00	315.00	...	315.00
4. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	114.69	...	114.69	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	165.00	...	165.00
5. राष्ट्रीय न्यास की सहायता
7. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	65.59	...	65.59	150.00	...	150.00	67.00	...	67.00	135.33	...	135.33
जोड़-राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम	422.57	...	422.57	525.00	...	525.00	502.00	...	502.00	615.33	...	615.33
8. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	142.00	...	142.00	155.00	...	155.00	155.00	...	155.00	142.68	...	142.68
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	564.57	...	564.57	680.00	...	680.00	657.00	...	657.00	758.01	...	758.01
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. भारतीय पुनर्वास परिषद	6.40	...	6.40	6.40	...	6.40	6.40	...	6.40	4.50	...	4.50
11. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	25.91	...	25.91	76.00	...	76.00	76.00	...	76.00	25.00	...	25.00
12. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	325.84	...	325.84	385.00	...	385.00	408.75	...	408.75	370.00	...	370.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	393.15	...	393.15	502.41	...	502.41	526.15	...	526.15	424.51	...	424.51
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
14. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम	0.01	0.01
15. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	0.01	...	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.01	0.01	0.02
अन्य												
16. वास्तविक वसूलियां	-3.77	...	-3.77
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	389.38	...	389.38	502.42	0.01	502.43	526.15	...	526.15	424.51	...	424.51
कुल जोड़	985.58	...	985.58	1224.09	1.06	1225.15	1223.96	1.05	1225.01	1224.07	1.20	1225.27
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	959.32	...	959.32	1119.72	...	1119.72	1122.75	...	1122.75	1112.02	...	1112.02
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	26.26	...	26.26	36.37	...	36.37	35.51	...	35.51	36.25	...	36.25
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.05	1.05	...	1.05	1.05	...	1.20	1.20
जोड़-सामाजिक सेवाएं	985.58	...	985.58	1156.09	1.06	1157.15	1158.26	1.05	1159.31	1148.27	1.20	1149.47
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	68.00	...	68.00	65.70	...	65.70	75.80	...	75.80
जोड़-अन्य	68.00	...	68.00	65.70	...	65.70	75.80	...	75.80
कुल जोड़	985.58	...	985.58	1224.09	1.06	1225.15	1223.96	1.05	1225.01	1224.07	1.20	1225.27

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	102.00	102.00	0.01	108.73	108.74	...	108.00	108.00	...	114.00	114.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	72.73	72.73	0.01	85.85	85.86	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00
जोड़	...	174.73	174.73	0.02	194.58	194.60	...	188.00	188.00	...	194.00	194.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. **संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी:** यह प्रावधान दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) के स्थापना व्यय के लिए है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संबद्ध कार्यालय है।
3. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** यह प्रावधान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता एवं उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिये है जो दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।
4. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** यह योजना शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध कार्यकलापों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं के लिये स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
5. **राष्ट्रीय न्यास की सहायता:** इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के लिए निधि जारी की जाती है।
6. **भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर:** सरकार द्वारा गरीब रोगियों के उपचार हेतु 25 निःशुल्क बेड उपलब्ध कराने के लिए एस आई सी को सहायता प्रदान की जाती है।
7. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस योजना के अंतर्गत स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को सुलभ भारत अभियान और दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह विशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त पहुँच के प्रावधान से सम्बन्धित है।
8. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** अम्नेला स्कॉलरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका कमाने और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आगे पढ़ने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे पढ़ाई और जीवन यापन करने में कई -शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।
9. **राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए है।
10. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण में देश में समान मानको को लागू करने के लिये एक शीर्ष वैधानिक निकाय है।
11. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
12. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं।
13. **राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता:** राष्ट्रीय न्यास विभाग का सांविधिक निकाय है जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन के लाभ के लिये राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय की मंजूरी और ईएफसी अनुशंसा के साथ योजना सीएस से अन्य सीएस में स्थानांतरित हो जाती है।
14. **राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम के लिए शेरर पूजी की व्यवस्था की गई है।
15. **भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम:** निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिये कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते हैं।